

Before The Notary Public Dhanbad

Affidavit

NOTARIAL

NOTARIAL

NOTARY
DHANBAD

I, Kalpana Kumari, W/o Sri Ranjeet Kumar Mishra, by faith hindu, R/o Ram Chowk, P.S. Madhubani, District - Madhubani, Bihar, do here by solemnly affirm as follows:

1. That, I am the owner of a part of land situated at Ram Chowk, P.S - Madhubani, District - Madhubani Bihar vide Mouza Ektara No. - 92, Khata No. - 839, Plot No. - 1575 (old)/ 6461,6462,6463,6464,6465 (new), Area - 4.578 dismil.
2. That, Abhishek Ranjan Mishra, S/O Sri Ranjeet Kumar Mishra is my only son, I will give the above said land to my said son.
3. That, the market value of my land and building is about Rs. 70,00,000/- and government value is about Rs. 50,00,000 - 55,00,000/-.
4. That, I declare that in future if necessary then I will register the said land in the name of my said son. In this regard I have got not any objection.

Verification

Solemnly affirmed before me by the dependent who is duly identified by
Sri *R. Choudhary*
Advocate Dhanbad.

The statement made above are

true and correct to the best of my knowledge and belief. I sign this

**NOTARY
DHANBAD**

06 MAY 2020

Kalpana Kumari
Deponent

Identified by

Advocate

The Notary Public, Dhanbad.



Authorised.
us 297 (1) (c) of the Cr. P.C. 1873
(Act No. 11 of 1974) & us (B) (1) (a)
of the Notaries Act 1952
(Act No. 53 of 1952)

06.05.2020



निवास परिया 21 वां नं बड़ी ओड़िया स्ट्रीट
कल्पना कॉम्प्लेक्स में 46 अंडीन
जो नं 100 वां 200 वां 300 वां 400
दिल्ली दिल्ली दिल्ली

46
23
411
04.01.08
4/1/08

vide declaration no. 06AR497896/08

बंचल अधिकारी रामकृष्ण से प्राप्त संकेत
आगार दस्तावेज में वर्णित मोजा नाम 13/1/08
नम्बर 13 के बातों नम्बर 13/1/08
निचे दी है। सुनी वह
नहीं है।

Free paid

A/c 3,350/-
Sal. 2 = 50
P-fee 0 = 94
3,353 = 44

M/411



प्राप्ति का दिन	4/1/08
प्राप्ति का वर्ष	2008
प्राप्ति का महीना	जनवरी
प्राप्ति का दिन	4/1/08
प्राप्ति का वर्ष	2008
प्राप्ति का महीना	जनवरी



केवाला दस्तावेज़:-

केवाला दातागण:- 1-श्री लखीराम महतो, पिता स्व० कान्दन महतो, 2-श्री
बुकेश्वर महतो, पिता स्व० करमु महतो, 3-श्री रामचन्द्र महतो, पिता स्व०
करमु महतो, जाति-कुमोरी, पेशा-खेती-आदि, साकिम-सरायदेला, थाना-धनबाद
हाल-थाना-सरायदेला, जिला-धनबाद। भारतीय।

केवाला गहिता:- श्री विजय कुमार सामल, पिता स्व० नटवर सामल, जाति-
राजपूत, पेशा-व्यवसाय, साकिम-कुमुम-विवार, पो-बी. सी. सी. स्ल. टाउन-
शीप, थाना-धनबाद, हाल-थाना-सरायदेला, जिला-धनबाद। भारतीय।

3374/02-08

Bijay m Samaj
Kulavir m Santhal m

13/01/08 10:30 AM
Ganpati

81 Mpc Police N. 30

लक्ष्मी राम महातो
लक्ष्मी राम महातो
लक्ष्मी राम महातो
लक्ष्मी राम महातो
लक्ष्मी राम महातो

20-1-08



4/1/08

संग्रहालय



प्राप्ति

१ लक्ष्मीराम महातो

२ बुकेश्वर महातो

३ रामलक्ष्मी महातो

बोला खानी
जगड़ीश रावती

एक ही द्वारा, यहां पर उपलब्ध करने वाली

निराकृत की है।

Lakhifam Mahato
4/01/08

निवासन पदाधिकारी

दिनांक 4-1-08




Lakhi Ram Mohan

4/1/08

द्युमिति
४०८
४०८

द्युमिति
४०८
४०८



- 2 -

बिक्री-पत्र । केवाला दस्तावेज ।
मूल्य- ३, 35, 000/-रुपये । तीन लाख पैंतीस हजार रुपये । मात्र,
सलाना मालगुजारी- १० पैसा, अंचल कार्यालय-धनबाद
मालिक जमींदार-झारखण्ड सरकार धनबाद।


तपशील:- जिला धनबाद, चौकी सदर रजिष्ट्री औफिस धनबाद थाना-धनबाद, हाल थाना-सरायदेला अन्तर्गत "नारायणसुर उर्फ पिपराबेड़ा" मौजे में ऐती स्वत्व का छरीदा सम्पत्ति, मौजा नं-१३ खाता नं-२४ । चौबीस । सामिल प्लॉट नं-३२८ एवं ३२९ । तीन सौ अठाईस एवं तीन सौ उनतीस । अंग परिमाण ०४ कदं। ०५ छटाक २४ वर्गफीट यानि ७. १७ डिसमिल जमीन सह उस पर बना हुआ एजेस्टर के छावनी युक्त मकान के साथ बिक्री किया, जो यह केवाला दस्तावेज के साथ नव्यी की गई नक्शा में लाल रंग से दिखाया गया है।

उक्त मकान का प्लॉट एरिया- २०० वर्गफीट है, जो आवासीय है, जिसमें पानी आदि का संयोग नहीं है, जिसका निर्माण बर्ष १९९२ है।



Lalki Ram Mahato

4/1/08



-3-


जिसका चौहट्टी :-

उत्तर :- प्लौट नं०-328, 329 एवं 322 का अंश,

दक्षिण :- प्लौट नं०-328 एवं 329 का अंश,


पुरब :- प्लौट नं०-329 का अंश,

पश्चिम:- 17 फीट चौड़ा प्रस्तावित रास्ता ।



उक्त सम्पत्ति धनबाद रजिष्ट्री औफिस का रजिष्ट्री किया हुआ 3-2-1964 साल का 117। नं० केवाला दस्तावेज द्वारा ईन्ट्र नारायण साव एवं अन्य से 1, नं० दाता के पिता मही पेलिया महताईन एवं पिता मह स्व० करमु महतो के नाम से खरीदा, एवं 2, तथा 3, नं० दातागण के माता पेलिया महताईन एवं पिता स्व० करमु महतो के नाम से खरीदा सम्पत्ति है, हमलौग वारी शान सूत्र से नीज अंश में प्राप्त होकर जमाबन्दी संख्या-87 में सलाना मालगुजारी आदाय देते हुए उक्त सम्पत्ति बिक्री किया।

दूसिंकि बिक्री पत्र का बिबरण यह है कि हमलौगों को संसारिक खर्च के लिए रुपये की आवश्यकता आ जाने से उक्त जमीन का मूल्य-2, 30, 000/-रुपये एवं उक्त मकान का मूल्यः- 1, 05, 000/-रुपये, कुल मूल्य-3, 35, 000/-रुपये धार्य कर आपको बिक्री कर सदा के लिए निःस्वत्व हुए एवं आपको दखलकार किया तथा दखल दिया।



Lokhi Kam Mahato

4/1/08

४०८
महाराष्ट्र
रुपये
१०००

४०८
महाराष्ट्र
रुपये
१०००

-4-

उपरोक्त सम्पत्ति पर हमलोगों का जिस प्रकार का हक-अद्वितीयार दावी-दावा आदि था आज तारिख से आपका हुआ आप उक्त म्हान को तोड़कर नया म्हान आदि तैयार कर नीज वसवास या किराया बन्दोबस्त कर अपना इच्छानुसार दान बिक्री आदि सर्व प्रकार के हस्तान्तरण का मालिक होकर बंश परम्परा से पूर्व-पौत्रादि एवं वारीसन के साथ सदा के लिए भौग दखल करते रहे इसमें हमलोग या हमलोगों के वारीसन किसी प्रकार का वज्र या स्तराज नहीं कर सकता है और करने पर भी वह कानून के मुताबिक नाम्जुर होगा।

उपरोक्त सम्पत्ति का सलाना मालगुजारी मालिक जमीदार झारखण्ड सरकार को बराबर आदाय देकर आप अपने नाम से दाखिल-खारीज करवा कर सलाना मालगुजारी का रसीद हासिल करेंगे।

उपरोक्त सम्पत्ति हमलोगों का खास दखल में है कभी किसी प्रकार का हस्तान्तर आदि नहीं किया हुआ है अगर भविष्य में किसी प्रकार का दाय-संयोग या हस्तान्तर आदि पाया जाय और उससे आपको या आपके बंश को क्षति पहुँचे तो हमलोग या हमलोगों के वारीसन क्षति पुरण का देनदार होगा या होंगे।



झारखण्ड JHARKHAND

309213

Lakhi Ram Mahato
4/1/08

भूमि प्रेषण दस्तावेज
4/1/08

-5-

अतः हमलोग अपना स्थिर बुद्धि और सरल मन से विचार कर मूल्य का पुरा रूपये पा कर संव समझ-बूझकर यह बिक्र्य-पत्र सम्मान कर दिया कि समय पर काम आ चै।

ईति दिनांक- 4-1-2008,

प्रमाणित किया जाता है कि मूल दस्तावेज संव द्वितीयक प्रति एक दुसरे की हूबहू और स्थायी प्रति लिपि है।

Lakhi Ram Mahato
4/1/08

गुह्यता का छाया चित्र:-



Bijay Kumar Samal
4/1/08



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

₹.20

भारत

Rs.20

**TWENTY
RUPEES**

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

00AA 767949

Lokhi Kam Mahato
4/1/08
प्रमाणित
-6-
4/1/08

प्रमाणित
4/1/08
4/1/08

प्रमाणित किया जाता है कि दातांगण संव ग्रहिता जिनका छाया चित्र दस्तावेज में लगा है के बाये हाथ के अंगुलियों का निशान मेरे सामने लिया गया है संव दस्तावेज का प्रारूप बनाया संव दोनों पक्षों को पढ़कर सुनाया संव समझा दिया।

वाक्य गोपाल प्रसाद
साठ वर्ष बाप
पाठ नं ८७/८८

:—गवाहण:-

1. गोपाल २ वर्ष
गोपाल प्रसाद वर्ष बाप
4/1/08

4/1/08

2. Swesh. Rd. Sahu
Damodarpan
Dhanta
4/1/08

टंकः:-
[Signature]

1821

1712



सत्यमेव जयते


INDIA NON JUDICIAL

Government of Jharkhand

e-Stamp

Certificate No.
 Certificate Issued Date
 Account Reference
 Unique Doc. Reference
 Purchased by
 Description of Document
 Property Description
 Consideration Price (Rs.)
 First Party
 Second Party
 Stamp Duty Paid By
 Stamp Duty Amount(Rs.)

: IN-JH26845621939556S
 : 20-Feb-2020 05:17 PM
 : CSCACC (GV) / jhcsceg07 / JH-DBSUM0157 / JH-DB
 : SUBIN-JHJHCSCEG0739254586945983S
 : KAALJEET BUILDERS AND DEVLOPERS OPC
 : Article 5 Agreement or memorandum of an Agreement
 : DEVELOPMENT AGREEMENT
 : 0
 (Zero)
 : PRADIP KUMAR SINGH AND OTHERS
 : KAALJEET BUILDERS AND DEVLOPERS OPC
 : KAALJEET BUILDERS AND DEVLOPERS OPC
 : 100
 (One Hundred only)



Please write or type below this line

नोटारीलियर्स का प्रतीक और छोटापाल
 काष्ठ लगानी की अपील
 जो मानव संसाधनों की सुरक्षा के लिए
 की जनसंख्या के लिए
 दृष्टिकोण स्थापित करता है।
 नशीली में विमुक्ति के लिए उत्तम
 नहीं है।

05.03.20

Pradeep Kumar Singh
 21/02/20
 05.03.2020

SR 0006200763

Statutory Alert:

- The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.sholestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
- The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
- In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



5/3/2020
Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence"

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."



5000000000

Development Agreement St 1001

82
2/3
15
2
51

VIDE NOTIFICATION MEMO NO.- 499 & 500

DT 18-05-2017 AFFIDAVIT NO. 1 DT 18

FEES OF RS... 22884/- VIDE

600154581-18

— 10 —

अंचल अधिकारी पौडेल द्वारा प्राप्त खुदी
अनुसार दस्तावेज में उमित की गई। १५/१२/२०१५
नम्बर १३ द अया खाता नहीं ३०००००
निषिद्ध खाते से बाहर हैं / सूतों बैठक होती है

ब्रह्मस्तील वर्णान्वय जगत्कला का मुख्य भाग होनेवाला है। अनुवादार नियोगित व्यक्तितम् मुख्य है क्योंकि

~~b~~ DS-05

Tee Rend
LE 41 225825. 10

225825. 10



ENR No.-588/203

Bijay Kumar Samal,
Bijay Kumar Samal,

21/02/20
05/03/2020



1950-1951

—: डेवलपमेंट एकरारनामा :—

एकरारनामा दाता(प्रथम पक्ष) :- 1. श्री प्रदीप कुमार सिंह, पिता—श्री बाला प्रसाद सिंह, 2. श्री विजय कुमार सामल, पिता—स्व० नटवर सामल, जाति—राजपूत, पेशा—व्यवसाय, साकिन—नारायणपुर, कुसुम विहार, फटबॉल ग्राउंड के निकट, थाना—सरायढेला, जिला—धनबाद, भारतीय। (भू—स्वामी)

आधार संख्या—1-3857 3413 3630, 2-9828 6467 7684, पैन—1-CJPPS5798P, 2-BIKPS2339K

एकरानामा ग्रहिता(द्वितीय पक्ष) :- कालजीत बिल्डर एण्ड डेवलपर ओपीसी प्रा० लि० के निदेशक श्री अभिषेक रंजन मिश्रा, पिता—श्री रंजीत कुमार मिश्रा, जाति—ब्राह्मण, पेशा—व्यवसाय, साकिन—103 पार्वती विला, गंगा पथ वेस्ट, पटेल नगर, पटना, बिहार। भारतीय। (डेवलपर)

आधार संख्या—7864 6215 7529, पैन—FBSPM2183N

सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य—90,33,000/- (नब्बे लाख तैतीस हजार रुपया मात्र)।

लेख्य प्रकार :— अपार्टमेंट निर्माण हेतु एकरारनामा



Advocate
ENR No.-588/2007

Pradeep Kumar Singh,
Rajay Kumar Samal

21/02/20

डेवलपमेंट एकरारनामा

विवरण जमीन :—जिला निबंधन कार्यालय, धनबाद, अवर निबंधन कार्यालय सह थाना—सरायडेला, अन्तर्गत “नारायणपुर उर्फ पिपराबेड़ा” मौजा में खास दखली रैयती स्वत्व की जमीन, मौजा—नारायणपुर उर्फ पिपराबेड़ा, मौजा नं०-13, नया खाता नं०-100(एक सौ), नया प्लॉट नं०-140 एवं नया प्लॉट नं०-139, दो प्लॉटों का कुल रकवा—15.45 डिसमिल जमीन पर आवासीय सह व्यवसायिक अपार्टमेंट के निर्माण हेतु एकरार किया। जिसका पुराना खाता नं०-24 एवं पुराना प्लॉट नं०-328 एवं 329 है।

जिसकी चौहदी :-

उत्तर : प्लॉट नं०-328, 329 एवं 322 का अंश,
दक्षिण : 08 फीट चौड़ा गली,,
पूरब : मनन यादव,
पश्चिम : 21 फीट चौड़ा रास्ता.

उपरोक्त जमीन धनबाद निबंधन कार्यालय से निबंधित दिनांक—15.03.2019 ई० के केवाला दस्तावेज संख्या—1428 के द्वारा पंकज कुमार लोधि, पिता—स्व० हरि प्रसाद लोधि से प्रथम पक्ष के निज नाम पर खरीदी हुई है। जो बही संख्या—01, जिल्द संख्या—113, पृष्ठ संख्या—547 से 596, वास्ते—2019 में लिपिबद्ध है। जिसका दाखिल—खारिज मुकदमा संख्या—3463/आर 27/2018-19 है तथा जमाबंदी रसीद संख्या—0601814749 में लगान वसूल होता है। अंचल कार्यालय, धनबाद के पंजी—।। के भाग वर्तमान—3 एवं पृष्ठ संख्या—62 में प्रथम पक्ष के निज नाम पर अंकित है। एवं उपरोक्त जमीन धनबाद निबंधन कार्यालय से निबंधित दिनांक—04.01.2008 ई० के केवाला दस्तावेज संख्या—60 के द्वारा लखी राम महतो, पिता—स्व० कान्दन महतो एवं अन्य से प्रथम पक्ष संख्या—02 के निज नाम पर खरीदी हुई है। जो बही संख्या—01, जिल्द संख्या—01, पृष्ठ संख्या—37 से 43, वास्ते—2008 में लिपिबद्ध है। जिसका दाखिल—खारिज मुकदमा संख्या—2473(।।)2007-08 है तथा जमाबंदी रसीद संख्या—0353084405 में लगान वसूल होता है। अंचल कार्यालय, धनबाद के पंजी—।। के भाग वर्तमान—1 एवं पृष्ठ संख्या—368 में प्रथम पक्ष संख्या—02 के निज नाम पर अंकित है।

यह कि उपरोक्त जमीन पर प्रथम पक्ष निर्विवाद रूप से शातिपूर्ण वातावरण में भोग—दखल करते आ रहे हैं। साथ ही विवरण अंकित जमीन का विकास कर अपार्टमेंट निर्माण के लिए प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को स्वीकृति प्रदान की गई।

Bradeep Kumar Singh
Bijay Kumar Samal

21/02/20

1. यह कि प्रथम पक्ष/भू-स्वामी उपरोक्त विवरण अंकित जमीन पर अपार्टमेंट के निर्माण हेतु डेवलपर/द्वितीय पक्ष को शन्तिपूर्ण वातावरण में निर्विवाद रूप से दखल देंगे। प्रथम पक्ष इस बात की भी घोषणा करते हैं कि विवरण अंकित जमीन के एवज में द्वितीय पक्ष से अग्रीम स्वरूप वर्तमान में $-1,00,000/-$ मात्र आज एक्सिस बैंक, पटेल नगर, पटना शाखा द्वारा निर्गत चेक संख्या-000341 के द्वारा प्रदान किया गया। शेष- $3,00,000/-$ रूपये का अग्रीम भुगतान नक्शा पास एवं रेत से स्वीकृति मिलने के बाद द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को कर दिया जायेगा। दोनों में सहमति से तय किया गया कि माडा/नगर निगम, धनबाद द्वारा स्वीकृत नक्शा के आधार पर निर्माणाधीन अपार्टमेंट में प्रथम पक्ष को 34 प्रतिशत एवं द्वितीय पक्ष को 66 प्रतिशत की हिस्सेदारी मिलेगी।

2. यह कि, प्रथम पक्ष द्वारा अग्रीम स्वरूप ली गई राशि $-4,00,000/-$ मात्र प्रथम पक्ष अपार्टमेंट निर्माण के अन्दर द्वितीय पक्ष को वापस करेंगे अथवा अपार्टमेंट निर्माण के मूल्य पर उक्त राशि का समायोजन प्रथम पक्ष के हिस्से में कर दिया जायेगा।

3. यह कि, प्रथम पक्ष घोषणा करते हैं कि विवरण अंकित जमीन पर किसी भी प्रकार का वाद-विवाद लंबित नहीं है और ना ही इस जमीन की कभी बिकी आदि की गई है। प्रथम पक्ष यह भी दावा करते हैं कि विवरण अंकित जमीन पर अपार्टमेंट निर्माण के लिए माडा/नगर निगम, धनबाद से नक्शा पास कराने में किसी भी प्रकार का अड़चन नहीं आयेगा। साथ ही विवरण अंकित जमीन पर किसी भी प्रकार का बैंक ऋण बकाया नहीं है।

4. यह कि, अपार्टमेंट निर्माण में गुणवत्ता से किसी प्रकार से समझौता नहीं करते हुए उच्च कोटि के बिल्डिंग मेट्रियल का ही प्रयोग किया जायेगा।

5. यह कि, अपार्टमेंट के निर्माण एवं प्रथम पक्ष को हिस्सा आवंटित कर देने के बाद प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के नाम पर अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा मानोनित किसी भी व्यक्ति या संस्था के नाम पर फ्लैट का निबंधन करा देंगे।

6. यह कि, अपार्टमेंट के निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद या अड़चन आने की स्थिति में प्रथम पक्ष अपना हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद में भी प्रथम पक्ष हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे और सारी जिम्मेदारी भी प्रथम पक्ष की होगी।

7. यह कि, अपार्टमेंट निर्माण हेतु माडा/नगर निगम, धनबाद से नक्शा स्वीकृत कराने के लिए जमीन से संबंधित सारे आवश्यक कागजात प्रथम पक्ष द्वारा निर्विवाद रूप से द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर संबंधित कार्य के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन या शपथ पत्र तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

Pradeep Kumar Singh
Bijay Kumar Samal

21/02/20

8. यह कि, निर्माण के दौरान प्रथम पक्ष या उनके वारिसान किसी भी प्रकार की दखलअंदाजी या रुकावट डालने का कार्य नहीं करेंगे। विवरण अंकित जमीन पर अपार्टमेंट निर्माण के लिए डेवलपर अपने ठेकेदार, करीगर, पार्टनर आदि बहाल कर उनसे काम लेने का पूरा अधिकार होगा। डेवलपर किसी भी सरकारी या निजी संस्था से निर्माण मेट्रियल खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे। साथ ही कार्य से संबंधित किसी संवैधानिक संस्था का सहयोग लेने एवं कानूनी कार्रवाई का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

9. यह कि, द्वितीय पक्ष के हिस्से में आने वाले सुपर बिलटप एरिया पर पूर्ण अधिकार होगा। द्वितीय पक्ष विज्ञापन के माध्यम से किसी भी क्षेत्र में बुक कर उस भाग को किसी भी व्यक्ति से बिकी करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होंगे और उसका मूल्य लेने का अधिकार भी द्वितीय पक्ष को ही होगा। फ्लैट खरीदने वाले कोई भी खरीदार बैंक अथवा किसी भी वित्तीय संस्था से कर्ज ले सकते हैं। इस पर प्रथम पक्ष को कभी कोई आंपत्ति नहीं होगी।

10. प्रथम पक्ष/भू-स्वामी अपने हिस्से का उपयोग अपनी ईच्छानुसार कर सकते हैं। प्रस्तावित अपार्टमेंट के छत पर दोनों पक्षों का समान अधिकार होगा। लेकिन किसी भी पक्ष द्वारा निर्माण नहीं किया जा सकता है। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर दोनों पक्ष अपसी सहमति से नियमानुसार निर्माण कर सकते हैं।

11. साथ ही अपार्टमेंट का निर्माण माडा/नगर निगम, धनबाद से स्वीकृत नक्शा के अनुरूप ही किया जायेगा। यदि किसी भी तरह से गलत निर्माण किया जाता है तो इसकी सारी जिम्मेवारी डेवलपर पर होगी। इस कारण यदि कोई वाद या कानूनी प्रक्रिया आरंभ होती है तो सारी जवाबदीह डेवलपर की होगी। इसमें प्रथम पक्ष/भू-स्वामी किसी भी प्रकार से जिम्मेदार अथवा जवाबदेह नहीं होंगे।

12. यह कि, माडा/नगर निगम, धनबाद से नक्शा पास होने से पूर्व विवरण अंकित जमीन से संबंधित सभी प्रकार के बकाया कर आदि का भुगतान प्रथम पक्ष को करना होगा, नक्शा स्वीकृत होने के बाद सभी प्रकार के कर आदि का भुगतान डेवलपर द्वारा किया जायेगा। अपार्टमेंट के निर्माण के बाद दोनों पक्ष अपने-अपने हिस्से के कर आदि का भुगतान करेंगे।

13. यह कि, प्रथम पक्ष/भू-स्वामी द्वितीय पक्ष को भूमि के टाइटल में त्रुटि होने से सुधार करेंगे तथा ये भी दावा करते हैं कि प्रथम पक्ष उक्त भूमि को ना तो बेचेंगे, ना ही किसी भी प्रकार का कर्ज लेंगे और ना ही किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी अन्य से कोई एकरार करेंगे।

14. यह कि, प्रस्तावित अपार्टमेंट निर्माण से संबंधित सभी नफा एवं नुकसान के स्वयं भागी होंगे। निर्माण से संबंधित सभी कार्यों तथा किसी दुर्घटना के लिए प्रथम पक्ष की जवाबदेही नहीं होगी।

15. यह कि, किसी सरकारी, अर्द्ध सरकारी संस्था में किसी प्रकार का सिक्योरिटी अमाउंट संस्था द्वारा मांग की जाती है तो डेवलपर उसे जमा करेंगे और वापस लेंगे। प्रथम पक्ष का उसपर कोई अधिकार नहीं होगा।



21/02/20

Bijay Kumar Samal

Pradeep Kumar Singh

16. यह कि, सामान्य सुविधाओं के लिए होने वाले खर्च का वहन प्रथम पक्ष को करना होगा। प्रथम पक्ष जनरेटर विद्युत व्यवस्था पर लगने वाले खर्चों का समानुपातिक भाग का वहन करेंगे।
17. यह कि, प्रथम पक्ष डेवलपर के आग्रह पर सभी प्रकार के आवेदन, केवाला दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर आवश्यकतानुसार हस्ताक्षर करेंगे।
18. यह कि, एकरारनामा होने के 30 दिनों के अन्दर प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष द्वारा मनोनीत व्यक्ति के नाम पर पावर ऑफ अटार्नी बना देंगे ताकि डेवलपर बिल्डिंग प्लॉन बनाकर पास कराने तथा भविष्य में खरीदारों के लिए एकरारनामा तैयार करने में मदद मिल सके।
19. यह कि, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद डेवलपर प्रथम पक्ष को लिखित सूचना देंगे एवं उसमें लगने वाले सभी कॉमन फिटिंग एवं सारी सुविधा मुहैया कराकर प्रथम पक्ष के हिस्से को हस्तांतरित करेंगे।
20. यह कि, प्रस्तावित अपार्टमेंट का निर्माण डेवलपर द्वारा स्टैण्डर्ड स्पेसीफिकेशन के अनुरूप करेंगे। स्पेसीफिकेशन से अलग हटकर कोई काम प्रथम पक्ष करना चाहें वैरी स्थिति में अतिरिक्त लागत का भुगतान प्रथम पक्ष करेंगे।
21. यह कि, प्रस्तावित अपार्टमेंट में खरीदने वाले सभी फ्लैट ऑनर्स की एक कमिटी गठन डेवलपर करेंगे। इस कमिटी में प्रथम पक्ष भी सदस्य होंगे तथा यह कमिटी बिल्डिंग के रख-रखाव तथा देख-रेख का कार्य करेगी। इसमें आने वाले कॉमन कार्य का भुगतान बराबर-बराबर सभी को करना होगा। प्रथम पक्ष भी अपने हिस्से के हिसाब से कॉमन कार्य का पैसा कमिटी को देंगे।
22. यह कि, डेवलपर अपार्टमेंट के अलावा चहारदीवारी, पानी के बोरिंग एवं लिफ्ट आदि की व्यवस्था करेंगे।
23. यह कि इस एकरारनामा के बाद विवरण अंकित जमीन में किसी प्रकार की त्रुटि निकलती है तथा कुछ भी विवाद होता है तो प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को होने वाले नुकसान की भारपाई करेंगे।
24. यह कि, इस एकरारनामा पर प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से जरूरत पड़ने पर जो भी रकम लेंगे, वह प्रथम पक्ष के एरिया पर समायोजित होगा।
25. यह कि, इस एकरारनामा से संबंधित सभी विवाद को सुलझाने के लिए धनबाद न्यायालय हीं सक्षम होगा। इस एकरारनामा की दो प्रति तैयार की गई है, जो एक-दूसरे की नकल है, एक प्रति द्वितीय पक्ष के पास होगी तथा डुप्लीकेट कॉपी प्रथम पक्ष के पास होगी।

Pradeep Kumar Singh
 131109 Kumar Singh
 21/02/20

26. यह कि, नक्शा पास एवं रेंडर से स्वीकृति होने के बाद निर्माण के लिए लगभग 03 वर्ष का समय एवं 06 माह का अतिरिक्त समय प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जायेगा।

27. नक्शा पास होने बाद हीं प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच हिस्से का बंटवारा किया जायेगा एवं निबंधित एकरारनामा होने के बाद द्वितीय पक्ष विवरण अंकित जमीन पर बोर्ड लगाकर अपना दखल-कब्जा लेकर अपार्टमेंट निर्माण का काम कर सकते हैं। दखल-कब्जा में किसी भी प्रकार का विवाद अथवा अड़चन आने पर सारी जवाबदेही प्रथम पक्ष की होगी।

अतः प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष अपनी स्थिरबुद्धि, सरलमन, शान्तचित्त एवं स्वस्थ शरीर में रहकर गवाहों के सामने समझ, बूझाकर, यह डेवलपमेंट एकरारनामा लिख दिया ताकि समय पर काम आवे।

इति तारिख :— 21/02/2020 ई०

द्वितीय पक्ष का छायाचित्र :



Kaaljeet Builders and Developers OPC Pvt. Ltd.

Abhishek Rayan Nishtha
Director

21/02/20

मैंने दस्तावेज का प्रारूप बनाया एवं दोनों पक्षों को पढ़कर सुनाया एवं समझा दिया। प्रमाणित किया जाता है कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के जो छायाचित्र इस दस्तावेज में लगे हैं, के बाँये हाथ के अँगूलियों के निशान मेरे सामने लिये गये हैं।

गवाहगण :—

1. Billesh Mantri
S/o Ramesh Mantri
Kusum Vihar Pipraberwa
Dhanbad

2. Somnath Dey
S/o Lt. Dip Dey
Kusum Vihar
Dhanbad

Shailesh Kr.
ENR - 588/2007
Adv. Ahanbag

दिलीप शैलेश
05. 03. 2020

Shailesh
21/02/20

Before The Notary Public Dhanbad

Affidavit

I, Kalpana Kumari, W/o Sri Ranjeet Kumar Mishra, by faith hindu, R/o Ram Chowk, P.S. Madhubani, District - Madhubani, Bihar, do here by solemnly affirm as follows:

1. That, I am the owner of a part of land situated at Ram Chowk, P.S - Madhubani, District - Madhubani Bihar vide Mouza Ektara No. - 92, Khata No. - 839, Plot No. - 1575 (old)/ 6461,6462,6463,6464,6465 (new), Area - 4.578 dismil.
2. That, Abhishek Ranjan Mishra, S/O Sri Ranjeet Kumar Mishra is my only son, I will give the above said land to my said son.
3. That, the market value of my land and building is about Rs. 70,00,000/- and government value is about Rs. 50,00,000 - 55,00,000/-.
4. That, I declare that in future if necessary then I will register the said land in the name of my said son. In this regard I have got not any objection.

Verification

Solemnly affirmed before me by the dependent who is duly identified by
Sri *R. Choudhary*
Advocate Dhanbad.

The statement made above are true and correct to the best of my knowledge and belief. I sign this
**NOTARY
DHANBAD**

Authorised.
us 297 (1) (c) of the Cr. P.C. 1873
(Act No. 11 of 1974) & us 18 (1) (a)
of the Notaries Act 1952
(Act No. 53 of 1852)

Kalpana Kumari
Deponent

Identified by

Advocate

The Notary Public Dhanbad.



Before The Notary Public Dhanbad

Affidavit

**NOTARY
DHANBAD**

I, Abhishek Ranjan Mishra, S/o Sri Ranjeet Kumar Mishra, Aged about 19 years, by faith hindu, Director of KAALJEET BUILDERS AND DEVELOPERS (OPC) PRIVATE LIMITED, having CIN - U45500BR2019OPC044398 Dated 05-12-2019 incorporated under The Companies Act 2013, having its address- C/O Abhishek Ranjan Mishra, F.No - 103, Parvati Villa, Ganga Path, West patel nagar, Distt - Patna, Bihar - 800023, do here by solemnly affirm as follows:

- 08 NO. / Date : 06 MAY 2020 B.C.N.O.
- That, my mother Smt. Kalpana Kumari, W/o Sri Ranjeet Kumar Mishra is the owner of a part of land situated at Ram Chowk, P.S - Madhubani, District - Madhubani Bihar vide Mouza Ektara No. - 92, Khata No. - 839, Plot No. - 1575 (old)/ 6461,6462,6463,6464,6465 (new), Area - 4.578 dismil.
 - That, she has given no objection in favour of me to use said landed property with building of market value is about Rs. 70,00,000/- and government value is about Rs. 50,00,000 - 55,00,000/-.
 - That, she also declares that in future if necessary then she will register the said property in my name.
 - That, the above statements are genuine and correct to the best of my knowledge. I also submit no objection affidavit of her.

Verification

Solemnly affirmed before me by the dependent who is duly identified by

Sri *Dilip Kumar*
Advocate Dhanbad.

The statement made above are

Joshi
true and correct to the best of my knowledge and belief. I sign this verification here at Dhanbad dated *06 MAY 2020*

Abhishek Ranjan Mishra
Deponent

Identified by

Deepti
Advocate *6/5/2020*



**NOTARY
DHANBAD**

Affidavit
in 207 (1) (c) of the Cr. P.C. 1973
(Act No. 11 of 1878) & 16 (3) (ii) (b)
of the Motor Act 1892
(Act No. 53 of 1892)